

पर्चा डिक्री

पालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

न० - 367/2024

प्लान : -

सुरज पारीक पुत्र श्री चन्द्रभान जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम


- चन्द्रभान पुत्र श्री रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
2 भानूप्रिया (पुत्री चन्द्रभान ) धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जाति ब्राह्मण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।  
3 पूनम ( पुत्री चन्द्रभान ) धर्मपत्नी श्री कमल कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री सुभाष गर्ग वादी  
श्री महावीर वर्मा प्रतिवादी




डिक्री


दिनांक 9/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व वकील प्रतिवादी श्री महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी सुरज पारीक चक 16 एस एल डबल्यु के जमाबन्दी संवत 2075 ता 2078 के खाता सं. 112/105 में अंकित प.न. 186/319 मु.नं. 39 के किला नं. 1 ता 4, 7, 8 कुल 1.518 है० आराजी का वादी खातेदार काश्तकार व चक 16 एस एल डबल्यु जमाबन्दी संवत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 112/105 के पत्थर नम्बर 185/319 (40) किला नम्बर 4, 5, 6, 7 व पत्थर नम्बर 186/319 (39) के किला नम्बर 9 व 10 तादादी 1.518 हैक्टेयर व इसी चक 16 एसएलडब्ल्यू के संयुक्त खाता संख्या 111/104 के पत्थर नम्बर 185/318 (35) किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 19, 23 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.290 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल तादादी 1.808 हैक्टेयर कृषि भूमि का मिन प्रतिवादी संख्या - 1 चन्द्रभान पुत्र श्री रामकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजी में रामकुमार पुत्र आदुराम

म कलमजन किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन  
हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे।  
कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन  
हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना  
ना वहन करे।

इ पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.12.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी  
गे गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर  
दिल्ली